इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *368

06 सितम्बर, 2012 को उत्तर के लिए

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के बर्नपुर इस्पात संयंत्र के समक्ष पेश आ रही समस्याएं

*368. श्री श्यामल चक्रवर्ती:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के बर्नपुर इस्पात संयंत्र को नया संयंत्र प्रारंभ करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) इन समस्याओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) मंत्रालय ने नए आधुनिक संयंत्र को संचालित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या स्थानीय ग्रामीणों की ओर से नौकरियां दिये जाने की कोई मांग की गई है; और

(ड.) यदि हां, तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने भूमि से वंचित हुए लोगों में से नए कामगारों की भर्ती करने के लिए क्या नीति बनाई है ?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

'भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के बर्नपुर इस्पात संयंत्र के समक्ष पेश आ रही समस्याएं' के बारे में श्री श्यामल चक्रवर्ती, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 06.09.2012 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *368 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): जी, नहीं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) अपने इस्को स्टील प्लांट (आईएसपी), बर्नपुर में विस्तार एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम पूरा करने के लिए अपने सभी प्रयास कर रहा है। कुछेक प्रमुख सुविधाएं यथा रॉ मेटेरियल हैंडलिंग प्लांट, कोल हैंडलिंग प्लांट, आक्सीजन प्लांट, सिंटर प्लांट और ब्लास्ट फर्नेस पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। कोक ओवन बैटरी की हीटिंग भी दिनांक 30.5.2012 को आरंभ कर दी गई है। विगत में, मृदा की अप्रत्याशित स्थितियों, सिविल एवं ढांचागत कार्यों में परिणामी वृद्धि और ग्रामीण देवता स्थल को अन्य वैकल्पिक स्थान में पुनर्निधारित करने से उत्पन्न कार्य व्यवधान इत्यादि के कारण कुछ समस्याएं आई थीं जिनका समाधान अंततः दिनांक 21.6.2012 को कर दिया गया था। सेल के विस्तार एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी और समीक्षा मंत्रालय में नियमित अंतरालों में की जाती है ताकि संयंत्र की कमीशनिंग में बाधा डालने वाले मुद्दों का समाधान किया जा सके।

(घ) जी, हां।

(ड.) सेल के पास एक निर्धारित भर्ती नीति है जोकि समय-समय पर लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा प्रेसिडेंशियल डाईरेक्टिव और विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अनुरूप है। यह आईएसपी सहित सेल के सभी संयंत्रों/यूनिटों के लिए लागू है।

वर्तमान नीति के अनुसार जिन पदों को विभिन्न श्रेणियों में भरना अपेक्षित होता है उन्हें पद की पात्रता मानदंड और चयन प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए स्थानीय रोजगार कार्यालय में अधिसूचित किया जाता है और राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। भूमि खोने वाले/प्रभावित अभ्यर्थी अन्य के साथ विचार किए जाने हेतु पात्र हैं, बशर्ते कि वे चयन प्रक्रिया के अनुसार अपेक्षित विनिर्देशों और अर्हता पूरा करते हों।

आईएसपी के मामले में कुछ प्रभावित व्यक्तियों ने समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालय में अलग-अलग लिखित याचिकाएं प्रस्तुत की हैं जिनमें उन्होंने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है और अधिक प्रतिपूर्ति प्रदान करने एवं रोजगार की मांग की है। वर्तमान में मामला निर्णयाधीन है।

****